Fourteenth Loksabha

Session : 10
Date : 07-03-2007
Participants : Yadav Prof. Ram Gopal,Yadav Shri Akhilesh,Singh Shri Mohan

Title: Regarding investigation of assets against Shri Mulayam Singh Yadav, Chief Minister of Uttar Pradesh.

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात कहने की अनुमति प्रदान की, मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, एक पब्लिक इंटरैस्ट लिटिगेशन में 1 मार्च को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक डिवीजन बैंच ने एक फैसला दिया। मैं इस संबंध में यह बताना चाहता हूं कि बिलकुल एक ही याचिकाकर्ता द्वारा, इसी तरह की एक आइडेंटीकल रिट पिटीशन पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बेसलैस मानते हुए निरस्त कर दिया था। दुबारा इस रिट पिटीशन के संबंध में दिनांक 15-12-2005 को सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशनर को यह डायरैक्ट किया कि क्या वे किसी राजनैतिक दल से संबंधित हैं, यह बताएं। इस संबंध में काउंटर एफीडेविट में पिटीशनर ने अगले ही दिन, यानी दिनांक 16-12-2005 को कहा कि :

> "Being a person of very ordinary means, he was not interested at all to enter into political life. However, somehow he was adopted by the Congress Party in the last Assembly election, which he contested against Shri Rajnath Singh of Bharatiya Janata Party… Apart from this venture, deponent has no contact or connection with the Congress Party."

श्रीमान्, एक नहीं, ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: This is the observation of the Court. We cannot question it.

प्रो. राम गोपाल यादव : श्रीमान्, एक नहीं अनेक मामलों में, माननीय सुप्रीम कोर्ट, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बैंच ने, इस संबंध में कुसुमलता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नामक दायर पब्लिक लिटीगेशन में वर्ा 2006 की एक बैंच ने कहा कि :

> "Public Interest Litigation, which has now come to occupy an important field in the administration of law should not be "Publicity Interest Litigation" or "Private Interest Litigation" or "Politics Interest Litigation"…"

महोदय, एक लार्जर बैंच ने, जो तीन जजों की बैंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, उन्होंने बाल्को एम्पलॉइज यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नामक केस में कहा था कि :

> "The Court must not allow any process to be abused by politicians and others to delay legitimate administrative action or to gain a political objective…"

It is further stated that :

> "The court must take care to see that it does not overstep the limits of its judicial function and trespass into areas, which are reserved for the Executive and the Legislature by the Constitution."

मैं यह सब इसलिए आपको बता रहा हूं कि किस तरह से राजनीतिक उद्देश्य के लिए चुनाव के वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करने के लिए यह सब किया जा रहा है। एक और मामले में, तीन जजेज की बैंच, जिसमें चीफ जस्टिस श्री सभ्रवाल भी थे, उन्होंने कहा कि :[r3]

> "However genuine a case brought before the court by a public interest litigant may be, the court has to decline its examination on the behest of a person who, in fact, is not a public interest litigant, and whose *bona fides* and credentials are in doubt."

ये सारी चीजें स्पट हैं और इसके बाद जिस बैंच ने यह फैसला दिया है, उस बैंच ने स्वयं अपने पहले फैसले में कहा...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You cannot question the judgment on this.

प्रो. राम गोपाल यादव : मैं जजमेंट या किसी पर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन स्वयं यह अनूठा ऐसा जजमेंट है, जिसमें बिना आरोप लगाये हुए यह किसी एजेंसी से कहा गया है कि वह यह देखे कि कोई आरोप बनता है या नहीं बनता है। यह नहीं कि कोई आरोप है तो उसकी जांच करे, बल्कि पहले वह एजेंसी आरोपों को ढूंढे और उसके बाद देखे और केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करे। जबकि न्यायालय ने हमेशा आम तौर पर जो भी फैसले दिये हैं, वह दिये हैं कि जब न्यायपालिका खुद जांच करवाती है तो रिपोर्ट स्वयं मांगती है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: We cannot do anything on this.

प्रो. राम गोपाल यादव : मैं यह कह रहा हूं कि यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसी दौरान बनी है, हमें एक सी.डी. मिली, उस सी.डी. में भी किस तरह से ... *

MR. SPEAKER: We cannot do anything about the judgment.

प्रो. राम गोपाल यादव : जिस तरीके से उस सी.डी. में...(व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair

MR. SPEAKER: Allow me to conduct the House. Please do not make any reflection on the Bench. Mr. Handique, I am here to look after the things. Hon. Members, please sit down. I have allowed him. What are you doing? If anything is done which is not proper, I shall see that it is deleted. Do not challenge the decision here. Prof. Yadav, you cannot make any comment on the judges. Bring the record to my notice. I will not allow this.

प्रो. राम गोपाल यादव : जो फैक्ट्स हैं, मैं वह बता रहा हूं। मैं कमेण्ट्स नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं यह कह रहा हूं कि उस सी.डी. ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाइये। आपकी सीट वहां है, आप यहां आकर क्या कर रहे हैं?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, it should be removed.

प्रो. राम गोपाल यादव : श्रीमन्, मैंने कहीं भी किसी तरह का एस्पर्सन किसी माननीय जज पर नहीं किया। बल्कि मैं यह कहता हूं कि याचिकाकर्ता ने जो बातें कही हैं, वे जजों पर लांछन लगाने वाली हैं। मैं यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: आप बैठ जाइये। Please go to your seat and take my permission before speaking.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You are not to decide, and I have to decide it, unfortunately.

*(Interruptions) ...**

MR. SPEAKER: Do not record one word. Not one word is being recorded, Mr. Mistry. Hon. Member, I will take action against you. If anything is done which is not proper, I will see that it is deleted. I am requesting Prof. Sahib, please do not make any reflection on a judge, which is not permitted.

… (*Interruptions*)

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अगर अपनी सीमा का त्याग करेगा तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I am on my legs. This has become a disease: nothing can be said, nothing can be discussed, and there can be no debate. What is happening? Are you the Speaker? You are deciding from there as if you are an additional Speaker. What is going on in this House? If you have no faith in me, get rid of me. I would not allow this to be done.

Prof. Yadav, I am very clearly requesting you not to make any reflection on any judge of any court.

प्रो. राम गोपाल यादव : सर, मेरा अगर एक भी शब्द कहीं न्यायपालिका पर रिफ्लैक्ट करता हो तो आप उसको पढ़कर निकाल दीजिए। लेकिन मेरे मित्र, पता नहीं क्यों नाराज हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप उनको छोड़िये न, वे तो हमसे ही नाराज हैं, आप क्या करेंगे।

...(व्यवधान)

प्रो. राम गोपाल यादव : मैं तो यही मांग आपसे कर रहा हूं कि मैं सारे तथ्य आपको दे दूंगा, उसकी जांच कराइये, जिसमें यह फैसला हुआ है। मैं आपको यह तथ्य बताना चाहता हूं कि अखिलेश दो बार पार्लियामेंट में चुनकर आये हैं और एक-एक पैसे का रिकार्ड एफीडेविट के साथ इन्कम टैक्स में है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने पिछले छः वर्षों में एक पैसे की प्रापर्टी को न खरीदा है और न बेचा है। सारे तथ्य रिकार्ड के साथ दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें कहीं कुछ नहीं मिला है। ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: I can assure you that if any hon. Member of this House is facing anything and if it comes to me in a proper form, I shall see it. Let it come to me.

प्रो. राम गोपाल यादव : महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस एजेंसी को यह जांच करने के लिए कहा गया है, उस पर इस देश की जनता का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से या स्वयं संसद की कोई कमेटी बना दी जाए, जो इस मामले की जांच करे और मैं आपसे ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) आप उस कमेटी का अध्यक्ष मिस्त्री जी को ही बना दीजिए। ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : àÉé ¤ÉÉäãÉ SÉÖBÉEÉ cÚÆ, if a matter relating to any hon. Member of this House is sent to me, I shall look into it. I assure you that there is no question of any hon. Member being harassed if the law does not permit it.

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्यों की इज्जत के संरक्षक हैं और यह मामला इस सदन के एक सदस्य से संबंधित है, जिसने चुनाव लड़ने से पहले अपनी संपूर्ण संपत्ति का ब्योरा चुनाव आयोग को दिया है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mohan Singhji, I have high regard for you. Please let him or somebody on his behalf write to me giving all particulars. I shall see it.

श्री मोहन सिंह : केवल राजनीतिक कारणों से सीबीआई को लगाकर, ठीक चुनाव के मौके पर ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: The House shall now take up Item No.15.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (कैसरगंज) : महोदय, मैं पहली बार खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल खड़े होने से आपको बोलने देंगे, यह कोई रूल नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Please allow him, Sir.

MR. SPEAKER: Mr. Akhilesh, I will allow you. Mr. Naidu, you do not have to come to his support.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों के नहीं बैठने से हम किसी को मौका नहीं दे पाएंगे। Unless you sit down, nothing will happen. You do not encourage him to stand up when I am standing. When I am standing, you have to sit down.

I have said more than once here and also outside that if any hon. Member brings to my notice anything on which he has any grievance about - I have given the undertaking - I will look into it to the best of my ability and I will not allow any hon. Member of the House to suffer any injury without any cause except …

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Mr. Naidu, why are you anxious?

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Please allow him, Sir.

MR. SPEAKER: I will not allow him at your dictation.

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, हमने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस अभी नहीं पहुंचा है। ठीक है, बोलिए।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I do not know. I would have allowed you to speak instead of so many others. Yes, if you want to say anything, do it. I am giving you chance as an exception. But this is being misused.

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं लोक सभा में दूसरी बार जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य हूं। चुनाव से पूर्व मैंने सदैव शपथ पत्र द्वारा अपनी संपत्तियों का विवरण दिया है। इंजीनियरिंग करने के बाद हर वर्ा आयकर विभाग में अपनी संपत्ति का विवरण दिया है। जो भी संपत्ति मैंनें खरीदी अथवा बेची है, उसकी निरंतर सूचनाएं मैंने आयकर विभाग को दी हैं। मुझे छः मार्च 2007 के दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी अखबार से सूचना मिली कि मेरे पास आय से अधिक संपत्ति है। [v4]

उसकी जांच कर सीबीआई भारत सरकार को सूचनाएं दे। यह मेरे लिए विस्मयकारी सूचना है। चूंकि यह सदन मेरे विशेाधिकार का संरक्षक है। कौल और शकधर की पुस्तक Practice and Procedure of Parliament के Conduct of a Member के पेज 322 पर लिखा है :

> "Anyone who has a reasonable belief that a Member has acted in a manner which, in his opinion, is inconsistent with the dignity of the House or the standard expected of a Member of Parliament, may inform the Speaker or the Leader of the House about it. However, if in the course of preliminary investigation it is found that the person making the allegation has supplied incorrect facts or tried to bring discredit to the name of Member willfully or through carelessness, he is deemed to be guilty of a breach of privilege of the House."

दिल्ली से प्रकाशित मार्च 06, 2007 के टाइम्स ऑफ इंडिया के पृठ 15 के हैडिंग "Assets Case: CBI begins probe against Mulayam." इसकी ध्वनि से मुझको प्रताड़ित करने का भाव है। इस समाचार को पढ़ने के बाद चूंकि लोक सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी विशेाधिकार के संरक्षक हैं - मेरे खिलाफ रिश्वत लेने, भ्रटाचार अथवा घोटाला करने का कोई आरोप नहीं है, न तो मुझे किसी मामले में फंसाया गया है।

अत: श्रीमन्, भारत सरकार के गृह मंत्री और इस तरह के असत्य, निराधार आरोप के कर्ता-धर्ता लोगों के विरुद्ध विशेाधिकार हनन की सूचना देता हूं और इस प्रकरण की जांच लोक सभा की विशेाधिकार समिति द्वारा कराने की मांग करता हूं।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: No, no, what are you saying? That word should not go on record. I will see it. I have not received any notice.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Sorry, there is no scope for any supplementary.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम आपका आदर करते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम भी आपका आदर करते हैं, इसलिए मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं देंगे। हम आपसे ज्यादा आपका आदर करते हैं।

...(व्यवधान)

-